

उत्तर प्रदेश सरकार  
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड  
19 सी, तुलसी गंगा कॉम्प्लेक्स, विधानसभा मार्ग,  
लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226001

सूचना/विज्ञप्ति

उ0प्र0 पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती-2025

शुद्धि पत्र  
(CORRIGENDUM)

संख्या-पीआरपीबी-बी(आरक्षी पीएसी एवं अन्य संवर्ग) 07/2025 दिनांक- जनवरी 05, 2026

उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती-2025 के अन्तर्गत अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने विषयक समसंख्यक विज्ञप्ति दिनांकित: 31.12.2025 के अनुक्रम में शासनादेश संख्या-I/1194447/6-1001(008)/24/2023, दिनांक: 05.01.2026 के द्वारा आरक्षी ना0पु0 (पुरुष/महिला), आरक्षी पीएसी/सशस्त्र पुलिस (पुरुष), आरक्षी विशेष सुरक्षा बल (पुरुष), महिला बटालियन हेतु महिला आरक्षी, आरक्षी घुड़सवार पुलिस (पुरुष), जेल वार्डर (पुरुष) एवं जेल वार्डर (महिला) के कुल 32679 रिक्त पदों को भरने के लिए कार्मिक अनुभाग-2, उ0प्र0शासन की उत्तर प्रदेश लोक सेवा (भर्ती के लिए आयु सीमा का शिथिलीकरण) नियमावली-1992, सम्बन्धी अधिसूचना संख्या: 11/3/1991-का0-2-92, दिनांक :23.07.1992, के नियम-3 के आलोक में उक्त सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में सभी वर्गों के लिए अपवाद स्वरूप एक बार के लिए 03 वर्ष का शिथिलीकरण प्रदान किये जाने के निर्णय के आलोक में सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित आयु सीमा तथा छूट की स्थिति निम्नवत होगी:-

श्रेणीवार अधिकतम आयु सीमा तथा आयु सीमा में छूट तालिका

| क्र0सं0 | श्रेणी                                                                               | पुरुष (आयु) |          | महिला (आयु) |          |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------|----------|
|         |                                                                                      | कब से       | कब तक    | कब से       | कब तक    |
| 1       | सामान्य श्रेणी/ईडब्ल्यूएस                                                            | 2.7.2000    | 1.7.2007 | 2.7.1997    | 1.7.2007 |
| 2       | अनुसूचित जाति की श्रेणी के अभ्यर्थी को अधिकतम आयु हेतु 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है।    | 2.7.1995    | 1.7.2007 | 2.7.1992    | 1.7.2007 |
| 3       | अनुसूचित जनजाति की श्रेणी के अभ्यर्थी को अधिकतम आयु हेतु 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है।  | 2.7.1995    | 1.7.2007 | 2.7.1992    | 1.7.2007 |
| 4       | अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी के अभ्यर्थी को अधिकतम आयु हेतु 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है। | 2.7.1995    | 1.7.2007 | 2.7.1992    | 1.7.2007 |

| क्र०सं० | श्रेणी                                                                                                                                          | पुरुष (आयु)                                                                                                                               |                                                                                                     | महिला (आयु)                                                                                         |          |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 5       | उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी के अभ्यर्थी को अधिकतम आयु हेतु 05 वर्ष की छूट अनुमत्य है।                                                           | 2.7.1995                                                                                                                                  | 1.7.2007                                                                                            | 2.7.1992                                                                                            | 1.7.2007 |
| 6       | उ०प्र० राज्य के भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी को सेना में की गई सेवा अवधि को उनकी वास्तविक आयु से घटाने पर, अधिकतम आयु हेतु 3 वर्ष की छूट अनुमत्य है। | भूतपूर्व सैनिकों की आयु, सेना में की गई सेवा अवधि को उनकी वास्तविक आयु से घटाने पर, निर्धारित आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। | वास्तविक आयु-सेवा अवधि= परिणामी आयु (परिणामी आयु दिनांक 01.07.2025 को 31 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो) | वास्तविक आयु-सेवा अवधि= परिणामी आयु (परिणामी आयु दिनांक 01.07.2025 को 31 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो) |          |

2. तदनुसार बोर्ड की विज्ञप्ति दिनांकित : 31.12.2025 को उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

(सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज)  
अपर सचिव, भर्ती/परीक्षा नियंत्रक,  
उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,  
लखनऊ।